राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2937/2024

मानवेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर (राज.)।
3. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर।
5. वीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल संख्या 40, जरिये पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2024
आदेश की दिनांक : 22.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश स्वामी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार, को अपास्त फरमाया जावे और लिखित परीक्षा परिणाम आदेश दिनांक 03.08.2024 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 336 के स्थान पर 260 पर की जावे तथा लिखित परीक्षा परिणाम एवं पीसीसी हेतु चयन के प्रेस नोट में संशोधन किया जावे और अपीलार्थी को उचित वरिष्ठता क्रमांक प्रदान करते हुये उसे हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर बीकानेर जिले में दिनांक 05.05.2006 को हुई थी और लगभग 7 वर्ष बाद अपीलार्थी ने जिला भरतपुर में स्थानांतरण बाबत् आवेदन दिया, जिस पर विचार करते हुये उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 29.06.2013 को भरतपुर स्थानांतरित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण हुआ, जिसके कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता वर्ष 2006 के कांस्टेबल बैच के निम्नतर स्थान पर निर्धारित की गई। आदेश दिनांक 09.10.2016 के द्वारा अपीलार्थी को भरतपुर जिले से धौलपुर

जिले में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी ने उक्त स्थानांतरण को निरस्त कराने के संबंध में उसकी वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण कई आवेदन दिये, परंतु उन पर कोई विचार नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। वर्ष 2017–18 की धौलपुर जिले की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को उसकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की गई। कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार 5 वर्ष का अनुभव अथवा स्नातक योग्यता होने पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार धौलपुर जिले की कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 05.05.2006 के अनुसार वरिष्ठता प्रदान की गई, परंतु पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 24.03.2020 के अनुसार अपीलार्थी का नाम धौलपुर जिले में नियुक्ति दिनांक के स्थान पर धौलपुर जिले में नियुक्ति अनुसार वरिष्ठता क्रमांक 260 के बजाय 336 पर कर दी गई और उससे कनिष्ठ कार्मिक वरिष्ठता में ऊपर हो गये। उसकी वरिष्ठता भरतपुर जिले से धौलपुर जिले में स्थानांतरण के आधार पर नीचे की गई, जबकि अपीलार्थी ने अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण नहीं करवाया बल्कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में वरिष्ठता बाबत् प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन मांगे गये। धौलपुर जिले में हैड कांस्टेबल के पद की कुल 22 रिक्त पद निर्धारित किये गये, जिसके लिये दिनांक 21.07.2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भी भाग लिया और दिनांक 03.08.2024 को सफल घोषित हुआ। उसका नाम क्रम संख्या 54 पर दर्शाया गया जबकि क्रम संख्या 28 पर दर्शाना चाहिये था। श्री वीरेन्द्र सिंह कांस्टेबल जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, उसका नाम पर क्रम संख्या 40 पर दर्शाया गया और इस प्रकार श्री वीरेन्द्र सिंह का नाम हैड कांस्टेबल के पद हेतु चयनित किया गया जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित होना पडा। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची विधि विरूद्ध एवं उचित नहीं है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार, को अपास्त फरमाया जावे और लिखित परीक्षा परिणाम आदेश दिनांक 03.08.2024 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 336 के स्थान पर 260 पर की जावे तथा लिखित परीक्षा परिणाम एवं पीसीसी हेतु चयन के प्रेस नोट में संशोधन किया जावे और

अपीलार्थी को उचित वरिष्ठता क्रमांक प्रदान करते हुये उसे हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनाक 05.05.2006 को हुई थी और माह जुलाई, 2013 में उसे बीकानेर जिले से भरतपुर जिले में स्थानांतरण किया गया। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण करने पर अपीलार्थी की भरतपुर जिले में वरिष्ठता निर्धारित की गई तथा दिनांक 09.10.2016 को भरतपुर जिले से धौलपुर जिले में प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण किया गया और इस प्रकार परिपत्र दिनांक 24.03.2020 के अनुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारित की गई। इस प्रकार परिपत्र के बिंदु संख्या 4 के अनुसार कोई भी कार्मिक एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होता है तो उसकी वरिष्ठता सबसे निम्नतर स्थान पर निर्धारित की जाती है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर बीकानेर जिले में दिनांक 05.05.2006 को हुई थी और लगभग 7 वर्ष बाद दिनांक 29.06.2013 को उसके स्वयं के अनुरोध पर जिला भरतपुर स्थानांतरित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। जिसके कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता वर्ष 2006 के कांस्टेबल बैच के निम्नतर स्थान पर निर्धारित की गई। आदेश दिनांक 09.10.2016 के द्वारा अपीलार्थी को भरतपुर जिले से धौलपुर जिले में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी ने उक्त स्थानांतरण को निरस्त कराने के संबंध में उसकी वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण कई आवेदन दिये, परंतु उन पर कोई विचार नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को धौलपुर जिले में दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता में नियमानुसार उचित स्थान नहीं दिये जाने तथा उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 29.06.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांस्टेबलों का स्थानांतरण उनकी स्वयं की प्रार्थना पर संबंधित जिलो में किया गया, जिसमें अपीलार्थी का भी स्थानांतरण बीकानेर से भरतपुर जिले में किया गया और स्वयं प्रार्थना पत्र स्थानांतरण होने पर नियमानुसार कार्मिक को उस जिले में उसकी वरिष्ठता निम्नतर स्थान पर निर्धारित की जाती है, परंतु आदेश दिनांक 09.10.2016 जिसमें पुलिस कार्मिकों का स्थानांतरण एक जिले

से दूसरे जिले में किया गया है और अपीलार्थी का नाम भी उक्त आदेश में अंकित है, जिसमें उसे भरतपुर जिले से धौलपुर जिले में स्थानान्तरित किया गया है, परंतु स्थानांतरण का आधार प्रशासकीय आधार पर किया जाना दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण उसके स्वयं की प्रार्थना के आधार पर नहीं किया गया है। इस प्रकार उसकी वरिष्ठता नियमानुसार उस जिले के निम्नतर पद पर अथवा उससे कनिष्ठ कार्मिक के नीचे निर्धारित नहीं की जा सकती। अपितु नियुक्ति तिथि से अपीलार्थी की वरिष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जानी चाहिये। अनुलग्नक–1 जो कार्यालय पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा जिला धौलपुर में पदस्थापित कांस्टेबल अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार क्रम संख्या 260 पर श्री वीरेन्द्र सिंह जिनकी नियुक्ति दिनांक 15.05.2006 दर्शायी गई है और क्रम संख्या 336 पर अपीलार्थी श्री मानवेन्द्र सिंह की नियुक्ति दिनांक 05.05.2006 दर्शायी गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री वीरेन्द्र सिंह से वरिष्ठता में वरिष्ठ है और वरिष्ठता में वरिष्ठ होते हुये भी कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा दिनांक 10.12.2024 को वर्ष 2018–19 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की पीसीसी हेतु श्री वीरेन्द्र सिंह कांस्टेबल जोकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है, को मनोनीत किया गया है, जिनका नाम क्रम संख्या 13 पर दर्शाया गया है, परंतु अपीलार्थी को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की पीसीसी हेतु मनोनीत होने से वंचित रखा गया है, जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि धौलपुर जिले के कांस्टेबल की अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार, का नियमानुसार संशोधन कर अपीलार्थी की वरिष्ठता उसकी नियुक्ति तिथि अनुसार नियमानुसार निर्धारित की जावे और यदि अपीलार्थी वर्ष 2018–19 में हैड कांस्टेबल के पद के लिये पीसीसी हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे उसी तिथि से मनोनीत किया जावे, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री वीरेन्द्र सिंह को मनोनीत किया गया है। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य